

जिला रेशम कार्यालय मण्डला के कर्मचारियों की अचल संपत्ति का विवरण

GAD Forms (W) 1

फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अचल संपत्ति का विवरण, वर्ष २०१०

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो शशीक कुमारी पटेल 2. वर्तमान धारित पद प्रशिक्षक
 3. वर्तमान वेतन १२५०००० अगली वेतनवृद्धि की तारीख १-७-२०१०

उस जिले, उस संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा व्यौर		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा व्यौर	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
ग्राम- सोरपार पो. शा. परसवाड़ा तह. बरह जि. का. वा. सा. सा. ट. संभाग- जा. ब. म. पु.	मकान, 1	3.5 ए. १०	1,25,000 लगभग	पिता	विरासत	35000 लगभग	-

••• जहां लागू न हो काट दीजिए।
 ••• ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
 ••• इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
 टिप्पणी :- मध्य प्रदेश शासकीय सेवा (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षा है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार पहली की अवधि के पर्याप्त यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उसके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के व्यौर दें।

हस्ताक्षर Bh...
 नाम (शशीक कुमारी पटेल)
प्रशिक्षक
शा. का. सा. वा. सा. ट. चणपुरी
जि. म. उ. अ.

फार्म

अचल संपत्ति का विवरण वर्ष 2010

1. अधिकारी/कर्मचारी का नाम तथा ए. एल. मेराली
 उस सेवा का नाम जिसमें वह हो :- शा. का. र. के. व. अ. के. अ.
 2. वर्तमान धारित पद :- वा. क. ट.
 3. वर्तमान वेतन :- १२५००
 4. अगली वेतन वृद्धि दिनांक :- १-७-२०१०

उस जिले, उस संभाग तालुक तथा ग्राम का नाम जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा व्यौर			यदि स्वयं के नाम पर न हो तो अन्य भवन बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया xxx खरीद, पट्टा, बंधक विरासत या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गया हो उसका नाम तथा व्यौर	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह	भूमि भवन	वर्तमान मूल्य				
1	2	3	4	5	6	7	8

...
हस्ताक्षर

x जहां लागू न हो काट दीजिए
 xx ऐसे मामले में, जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
 xxx इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
 टिप्पणी :- मध्य प्रदेश शासकीय सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 18 (3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षा है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक 12 महीने की अवधि के पर्याप्त यह घोषणा-पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उसके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा विरासत में मिली या उसके नाम पर या उसके परिवार के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त संपत्ति के व्यौर दें।

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०१०

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो अजय सिंह चौहान 2. वर्तमान धारित पद डीएसओ (रेड)
 3. वर्तमान वेतन ३७४०० अगली वेतनवृद्धि की तारीख ०६/०७/२०१०

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरीद, परदा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरे	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
जिला- कुशीनौर तहसील- भेकिया ग्राम- नौगावा पिनकोड- गौहानी (रवरीली) गाँव- चंद्रनगा	०१ प्लॉट मकान	२५.०० एकड़	३७१५ लाख ४२५००	अजय सिंह चौहान के नाम पर पिता- सुभाष सिंह	विरासत से जहाँ श्री चौहान	१,००,०००/- ₹ १,५०,०००/- अनुमानित ४०३७ ₹	१२९

* जहाँ लागू न हो काट दीजिए।
 ** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
 *** इसमें अन्यकालीन परदे भी सम्मिलित हैं।
 टिप्पणी: मध्यप्रदेश शासकीय सेवा (आचारण) नियम, १९५९ के नियम १८(३) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार पढ़ाने की अवधि के परचायत यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर परदे या बंधक पर उसके द्वारा धारित संपत्ति अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।
 हस्ताक्षर अजय सिंह चौहान
 नाम अजय सिंह चौहान
 पता अजय सिंह चौहान (रेड)

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०१०

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो अजय सिंह चौहान 2. वर्तमान धारित पद फिरोजपुर
 3. वर्तमान वेतन ३७४०० अगली वेतनवृद्धि की तारीख ०६/०७/२०१०

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरीद, परदा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरे	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. जिला बालाघाट संभागा जवहरपुर त. बारासिंह ग्राम बारासिंह	१०० वर्ग फुट	---	३ लाख रुपय	विरासत	विरासत	---	---
2. ---	---	51१० वर्ग फुट आवसिका	2.5८ लाख	रुपय	रुपय	विरासत से अनुमानित ₹ ३०००० ₹ ३०००० ₹ ३०००० ₹ ३०००० ₹ ३००००	---

* जहाँ लागू न हो काट दीजिए।
 ** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
 *** इसमें अन्यकालीन परदे भी सम्मिलित हैं।
 टिप्पणी: मध्यप्रदेश शासकीय सेवा (आचारण) नियम, १९५९ के नियम १८(३) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार पढ़ाने की अवधि के परचायत यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर परदे या बंधक पर उसके द्वारा धारित संपत्ति अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।
 हस्ताक्षर अजय सिंह चौहान
 नाम अजय सिंह चौहान
 पता अजय सिंह चौहान (रेड)

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०१०

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो राजाराज हरदह, जिला सीतामढ़ी वर्तमान धारित पद डी.डी.ओ.
 3. वर्तमान वेतन 10550-00 अगली वेतनवृद्धि की तारीख 01/07/2010

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरीद, परदा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरे	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	ग्रह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
जिला-मधुवा तहसील-नौनपुर संभाग-जबलपुर ग्राम-सिंगापुर पोस्ट-जहरगढ़	50x150	50x50 2.30x50	10,00,000/- 2.मलगाव 400,000/- लगभग 150,000/-	पिता श्वशुर पत्नी	विरासत पैतृक सम्पत्ति 12/3/2008	150,000/- 60,000/- -	पिताजीकी सम्पत्ति पर एम पीए 17520 का करकाट आदेश है। पिताजीका वसा कर 944 का भी 75

* जहां लागू न हो कार्ट दर्जिए।
 ** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
 *** इसमें अन्यकस्तीन परदे भी सम्मिलित हैं।
 टिप्पणी: सशस्त्र बल शासकीय सेवक (अन्यथा) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षा है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक चार वर्षों की अवधि के परवाना यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर परदे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर राजाराज
 नाम राजाराज हरदह
 पद डी.डी.ओ.

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०१०

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो सुधीर कुमार अग्रवाल, जिला जयपुर वर्तमान धारित पद सहायक सार्वजनिक अधिकारी
 3. वर्तमान वेतन 19790+4800 अगली वेतनवृद्धि की तारीख 1-7-2010

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरीद, परदा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरे	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	ग्रह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. भोपाल की लाल भौंड	-	30x50 आवासीय	1000000/- (संभावित)	स्वयंके नाम पर	कृष्णकर, सर्वेक्षण 222 निर्माण सम्पत्ति भोपाल जनवरी, 1993	निरंक	अनुमति पत्र क्र.रे.सं/4/3/28/32/8332, भोपाल, दि. 1-12-92
2. भोपाल	रुम आर्डि. जी प्रकोष्ठ	-	6,00,000/- (संभावित)	स्वयंके नाम पर	कृष्णकर, सर्वेक्षण 222 निर्माण सम्पत्ति भोपाल अप्रैल 1999	निरंक	अनुमति पत्र क्र.के.रे.का.ज/सिरी/स्वा/3/18/97/199, दि. 8-7-97
3. जबलपुर	गृह 4020 वर्ग फुट	भूमि 13000 वर्ग फुट	2000000/- (संभावित)	पिताजीके नाम पर (पिता)	पिताजीके पिताजी द्वारा कृष्ण वर्ष 1948	निरंक	संपत्ति का 4 भागियों में बाँटने में बटवारे के परचाल हिस्सा प्राप्त होगा।

* जहां लागू न हो कार्ट दर्जिए।
 ** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
 *** इसमें अन्यकस्तीन परदे भी सम्मिलित हैं।
 टिप्पणी: सशस्त्र बल शासकीय सेवक (अन्यथा) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षा है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक चार वर्षों की अवधि के परवाना यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर परदे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर सुधीर कुमार
 नाम सुधीर कुमार अग्रवाल
 पद सहायक सार्वजनिक अधिकारी

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०१०

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो : किशोर डोक, शासकीय सेवा 2. वर्तमान धारित पद : सहायक अधीक्षक
3. वर्तमान वेतन : 15560 + 2800 अगली वेतनवृद्धि की तारीख : 01-07-2010

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा व्यौर			यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा व्यौर	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि	**वर्तमान मूल्य				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्य प्रदेश शासकीय सेवा (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पर्याप्त यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के व्यौर दें।

हस्ताक्षर

किशोर डोक

नाम

सहायक अधीक्षक

पद

फार्म

अचल सम्पत्ति का विवरण वर्ष : 2010

1. अधिकारी/कर्मचारी का नाम तथा उस सेवा का नाम जिसमें वह हो :-
2. वर्तमान धारित पद :-
3. वर्तमान वेतन :-
4. अगली वेतन वृद्धि दिनांक :-

जयपुर निरीक्षण विभाग
निरीक्षण विभाग
सहायक निरीक्षक
8700 + 200
1-7-2010

उस जिले, उप संभाग तालुका तथा ग्राम का नाम जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा व्यौर			यदि स्वयं के नाम पर न हो तो अन्य भवन बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया XXX खरीद, पट्टा, बंधक विरासत या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गयी हो उसका नाम तथा व्यौर	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह	भूमि भवन	वर्तमान मूल्य				
1	2	3	4	5	6	7	8
				Nil			

हस्ताक्षर

X जहां लागू न हो काट दीजिए

XX ऐसे मामले में, जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

XXX इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी :- मध्य प्रदेश शासकीय सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 18 (3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक 12 महीने की अवधि के पर्याप्त यह घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उसके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा विरासत में मिली या उसके नाम पर या उसके परिवार के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त, सम्पत्ति के व्यौर दें।

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०१०

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो अनिल पुडवार 2. वर्तमान धारित पर सहायक डी.डी.टी.न
 3. वर्तमान वेतन 8000+2480 अगली वेतनवृद्धि की तारीख 1-7-2010

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बताइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरोद, परच, चोपक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरे	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
जिला-लाहौर तहसील-तारासिवाली ग्राम-दिय्या	1 मकान	4.00 रकड	2.00 लाख लगभग	दो ब्राइडों के लाम पर आई-आई	पैतूक विरासत से प्राप्त	20000/- रुजाना लगभग	

जहां लागू न हो काट दीजिए।
 ** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बताया जाए।
 *** इसमें अल्पकालीन परचे भी सम्मिलित हैं।
 टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचारण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षा है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार महीने की अवधि के परवाना यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर परचे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर अनिल पुडवार
 नाम अनिल पुडवार
 पता सहायक डी.डी.टी.न

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०१०

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो देव प्रताप सिंह 2. वर्तमान धारित पर फील्ड ऑफिसर
 3. वर्तमान वेतन 18240+5400 अगली वेतनवृद्धि की तारीख 1-7-10

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बताइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरोद, परच, चोपक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरे	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
ग्राम-अकोशिया तहसील-इलाहाबाद जिला-शेख-भं	मकान	60 बीघा	40.0 लाख	पैतूक	पैतूक विरासत	10.0 लाख	पैतूक सेवकानि पर चार्ज भाइयों का बशवत् का व्ययकार
		2110 रकड	1.0 लाख	पत्नी के नाम पर	कृप दारा	112	पिताजीवरु कृप कृप जमा सभी भाइयों के लिए

जहां लागू न हो काट दीजिए।
 ** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बताया जाए।
 *** इसमें अल्पकालीन परचे भी सम्मिलित हैं।
 टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचारण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षा है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार महीने की अवधि के परवाना यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर परचे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर देव प्रताप सिंह
 नाम देव प्रताप सिंह
 पता फील्ड ऑफिसर

फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०१०

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो बाबू लाल बिल्लौर शैलम में चला 2. वर्तमान धारित पद फील्ड ऑफिसर शैलम
 3. वर्तमान वेतन 14120 + 1200 अगली वेतनवृद्धि को तारीख 1-7-2010

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरी		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **ख़ोद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरी	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
B-778 दुलसी नगर दंडौर म.प्र.	-	1500 वर्ग फुट अधिसूची	7.50 लाख	स्वयं के नाम पर	खरीद कर श्री सुशील दुबे से जी.पी.ए.ए.ए. शाही पार्क एस्टेट में	-	-

* जहां लागू न हो काट दीजिए।
 ** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
 *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
 टिप्पणी : मध्य प्रदेश शासकीय सेवक (आवरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार पहिले की अवधि के परवाना यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व को तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरी दें।
 हस्ताक्षर बाबू लाल बिल्लौर
 नाम बाबू लाल बिल्लौर
 पद फील्ड ऑफिसर शैलम

फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०१०

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो बाबू लाल बिल्लौर शैलम में चला 2. वर्तमान धारित पद फील्ड ऑफिसर शैलम
 3. वर्तमान वेतन 14150 अगली वेतनवृद्धि की तारीख 1-7-2010

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरी		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **ख़ोद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरी	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
शैलम, उन्हावा जिला इन्डौर संभाग इन्डौर (म.प्र.)	सकाण	316 वर्ग फुट अधिसूची	सकाण - 2.5 लाख भूमि - 8.5 लाख	पिताजी के नाम पर पिता-पुत्र	पूजा की विरासत में पाए	रुपि 30000 (लगभग)	

* जहां लागू न हो काट दीजिए।
 ** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
 *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
 टिप्पणी : मध्य प्रदेश शासकीय सेवक (आवरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार पहिले की अवधि के परवाना यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व को तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरी दें।
 हस्ताक्षर बाबू लाल बिल्लौर
 नाम बाबू लाल बिल्लौर
 पद फील्ड ऑफिसर शैलम

फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०१०

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो- सुनील पीपरे - रेशम संचालक पर पीएचडी आधीयर रेशम

3. वर्तमान वेतन - 14500/43600/ अगली वेतनवृद्धि की तारीख - 1.7.2010

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो।	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरोद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरे	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
ग्राम - लिंभिया तह - मंडला जिला - मण्डला	1 आवास मठान	017 हेक्. ख. ज. 127/5क एला 9-28 लिंभिया मण्डला	5.5 लाख	रुतंग के नाम पर है)	कृष कर प्राप्त	निरंक	जिला रेशम कार्यालय मण्डला अनुमति ग्राम की भकान व भूति कृष की गई। बैंक द्वारा जरण प्राप्त क मकान बनाया

* जहां लागू न हो काट दीजिए।
 ** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
 *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
 टिप्पणी : राज्यपदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक साहस महाने की अवधि के पर्यन्त यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर - सुनील पीपरे
 नाम - सुनील पीपरे
 पद - पीएचडी आधीयर रेशम

GAD Forms (W) 1

फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०१०

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो - शमचन्द चौधरी - 2. वर्तमान धारित पद - करिब रेशम निरीक्षण

3. वर्तमान वेतन - 12680 + DA - अगली वेतनवृद्धि की तारीख - 2.6.7.2010

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो।	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरोद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरे	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
ग्राम - बकोडी पोस्ट - कोथुरना तहसिल - वारासिवा जिला - बालाघाट (म.प्र.)	01 संयुक्त	08.0 एकड़ 05.0 एकड़ 02.0 एकड़ 15 एकड़	भवन - 2 लाख भूमि - 8 लाख " 5 लाख " 2 लाख 17 लाख	1) श्री. एच.वी. चौधरी - भाई 2) श्रीमती - हमाबाई - मां 3) - 4) -	भवन - विरासत भूमि - विरासत	2 लाख	(संयुक्त)

* जहां लागू न हो काट दीजिए।
 ** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
 *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
 टिप्पणी : राज्यपदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक साहस महाने की अवधि के पर्यन्त यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर - शमचन्द चौधरी
 नाम - शमचन्द चौधरी
 पद - पीएचडी आधीयर रेशम

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०१०

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो गोविंद प्रसाद महाजन ग्रामोद्योग 2. वर्तमान धारित पद वरिष्ठ वेतन निरीक्षक
 3. वर्तमान वेतन 12340/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख 11-7-2010

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरे	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
जिला-लाहौर डि. - लाहौर संभाग-जलंधर ग्राम-मेश्वर	पैकिंग मकान सरेखा में 28x66 कुस मकान	पैकिंग भूमि 1.38 एकड़ सिंचित	4,00,000/-	पिता की मृत्यु पश्चात मेरे नाम पर सम्बन्ध-पिता	पिता द्वारा कुस भूमि सरेखा में हिया 28x66 फुट का मकान स्वयं से कुस किया है।	40,000/- लगभग	-

* जहां लागू न हो काट दीजिए।
 ** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
 *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
 टिप्पणी: मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आवर्ण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के परवाना यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर Palme
 नाम गोविंद प्रसाद महाजन
 पद वरिष्ठ वेतन निरीक्षक

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०१०

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो जितेन्द्र सिंह तामर 2. वर्तमान धारित पद वरिष्ठ वेतन निरीक्षक
 3. वर्तमान वेतन 13370/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख 01-10-2010

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरे	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
मुश्ना उप सम्भाग अम्बाड तहसील फरसा जिला मुश्ना अशोकनगर उप सम्भाग मुश्ना जिला अशोकनगर	40x60 मकान जो फरसा के नाम है।	14, 69.8	30,00,000 (लगभग)	मकान पुराना तहसील फरसा फरसा के नाम पर है। अशोकनगर के नाम पर है। अशोकनगर के नाम पर है। अशोकनगर के नाम पर है।	इ पूर्ण पुराना विरासत में प्राप्त है। अशोकनगर के नाम पर है। अशोकनगर के नाम पर है।	अनुमान 1000 रुपये प्रति वर्ष। 300,000 लगभग	-
मुश्ना उप सम्भाग अम्बाड तहसील जिला मुश्ना	28x83 क/ग/म/र एकड़ का मकान पर है।	28x83	5,00,000 (लगभग)	अचल सम्पत्ति पिता से प्राप्त है।	पिता से प्राप्त किया है।	लगभग 1000 रुपये प्रति वर्ष।	-

* जहां लागू न हो काट दीजिए।
 ** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
 *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
 टिप्पणी: मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आवर्ण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के परवाना यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर जितेन्द्र सिंह तामर
 नाम जितेन्द्र सिंह तामर
 पद वरिष्ठ वेतन निरीक्षक

फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०१०

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो पद्मसिंह मरकाम 2. वर्तमान धारित पद ए०२० निरीक्षक
 3. वर्तमान वेतन १२१५०/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख १/७/२०१०

उस जिले, उप संभाग, कक्षा तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरोट, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरे	संपत्ति से वार्षिक आय	अभिप्रेक्ति
	ग्रह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
ग्राम सिंगानपुरी पो० लुमोह त० वैहर जिला बाराबंकी संभाग जबरनपुर	घर एक पिपला के तामल	15 एकड़	8 लाख कागजात	पिताजी के नाम पर	पैसिद सम्पत्ति	1.5 लाख कागजात	पिताजी के पैसिद सम्पत्ति 2 भएयो में बराबर बराबर विभाक्त किया जाये

••• जहां लागू न हो कार्ट दोबारा।
 ••• ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, यहाँ वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
 ••• इसमें अन्यकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
 टिप्पणी : सशस्त्र सहायक सेवा (आचारण) विभाग, 1959 के नियम 18(3) के अर्धीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से वह अधिकार है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार सहाने की अवधि के पर्याप्त यह घोषणा-पत्र भर कर प्राप्त करे और उसमें वह उनके स्वाधिकार की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित सम्पत्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दे।

हस्ताक्षर [Signature]
 नाम पद्मसिंह मरकाम
 प०२० नि०

फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०१०

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो राजकुमार चौधरी 2. वर्तमान धारित पद कनि०६ रेशम निरीक्षण
 3. वर्तमान वेतन १३०६० अगली वेतनवृद्धि की तारीख १/७/२०१०

उस जिले, उप संभाग, कक्षा तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरोट, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरे	संपत्ति से वार्षिक आय	अभिप्रेक्ति
	ग्रह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
जिला-उमरिया तह०-उमरिया ग्राम-भटपुर पोस्ट-उमरी (द्विबिधापुर)	ग्रह	1 एकड़	35 लाख	लगा	विरासत प्राप्त	25000/-	

••• जहां लागू न हो कार्ट दोबारा।
 ••• ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, यहाँ वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
 ••• इसमें अन्यकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
 टिप्पणी : सशस्त्र सहायक सेवा (आचारण) विभाग, 1959 के नियम 18(3) के अर्धीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से वह अधिकार है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार सहाने की अवधि के पर्याप्त यह घोषणा-पत्र भर कर प्राप्त करे और उसमें वह उनके स्वाधिकार की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित सम्पत्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दे।

हस्ताक्षर [Signature]
 नाम राजकुमार चौधरी
 कनि०६ रेशम निरीक्षण

फॉर्म
अचल सम्पत्ति का विवरण वर्ष 2010

- अधिकारी/कर्मचारी का नाम तथा उस सेवा का नाम जिसमें वह हो :-
- वर्तमान धारित पद :-
- वर्तमान वेतन :-
- अगली वेतन वृद्धि दिनांक :-

रत्नोपमा कौल
श्रीम जन्मलालय अग्रप्रोधीपाल
कॉन्ग्रेस रेखा निरक्षर
10800/- TPA
1-7-2010

उस जिले, उस संभाग तालुक तथा ग्राम का नाम जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा व्यौरे			यदि स्वयं के नाम पर न हो तो अन्य भवन बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया XXX खरीद, पट्टा, बंधक विरासत या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गयी हो उसका नाम तथा व्यौरा	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभ्युक्ति
	गृह	भूमि भवन	वर्तमान मूल्य				
1	2	3	4	5	6	7	8
श्री. धाम साहू साहू के द्वारा श्रीम साहू साहू	साहू साहू	15 एकड़	30000/- 75 लाख	पिता के	विरासत	80000/- (साहू साहू)	

रत्नोपमा कौल
हस्ताक्षर

- X जहां लागू न हो काट दीजिए
XX ऐसे मामले में, जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए ।
XXX इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं ।
टिप्पणी :- मध्य प्रदेश शासकीय सेवा (आचरण नि. 1965 के नियम 18 (3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक 12 महीने की अवधि के पश्चात यह घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उसके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा विरासत में मिली या उसके नाम पर या उसके परिवार के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त सम्पत्ति के व्यौरे दें) ।